मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 05.05.2018
14.5.18

फा.क्र. 2212/2018/21-व(एक), राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27 मार्च 2018 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. वेंकटरामा रेड्डी की अध्यक्षता में गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा दिनांक 09.03.2018 को न्यायिक अधिकारियों को अंतरिम रिलीफ (वेतन) के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट/अनुशंसाओं को मान्य करते हुए निम्नांकित बिंदुओं के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के न्यायिक अधिकारियों, पेंशनर्स एवं फेमिली पेंशनर्स को अंतरिम राहत प्रदान करता है :-

1. समस्त केटेगरी/रेंक के न्यायिक अधिकारियों को मूल वेतन पर 30 प्रतिशत अंतरिम राहत प्रदान जाती है।

2. वेतन में की गई उक्त बढ़ोत्तरी पृथक वेतन के रूप में मानी जाएगी एवं इस पर कोई डी.ए. (महंगाई भत्ता) देय नहीं होगा।

3. उक्त अंतरिम राहत के बकाया (एरियर) की गणना दिनांक 01.01.2016 से की जावेगी।

4. उक्त अंतरिम राहत पेंशनर एवं परिवार पेंशनर्स को भी समान रूप से दिनांक 01.01.2016 से देय होगी एवं उसी अनुरूप बकाया (एरियर) भी देय होगा।

5. उक्त अंतरिम राहत के देय बकाया (एरियर) का पूर्ण भुगतान 30 जून, 2018 तक या उसके पूर्व सुनिश्चित किया जावेगा।

6. उपरोक्त प्रकार से अंतरिम राहत के अंतर्गत प्रदान की गई राशि को भविष्य में रेड्डी वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट/सिफारिशों के अध्यधीन समायोजन योग्य माना जावेगा।

यह अधिसूचना म.प्र. शासन, वित्त विभाग की सहमति यू.ओ. क्र. 931/18/वित्त/नियम/आर.... दिनांक 16-5-18... के अनुक्रम में जारी की जा रही है।

16-5-18 931

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(आर.के. वाणी)
प्रभारी प्रमुख सचिव

पृ.क्रं. 2212/2018/21-ब(एक) भोपाल, दिनांक 05.05.2018
18.5.18

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
18. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
19. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवालय, भोपाल,
20. सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
21. संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय, भोपाल,
22. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
23. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
24. समस्त जिला एवं सेशन्स न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
25. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, भोपाल,
26. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
27. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
28. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, भोपाल,
29. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश,
30. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष, म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, इंदौर (म.प्र.) 452010

निरंतर.....

31. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
32. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, गोविन्दपुरा, भोपाल,
33. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, मालगंज चौराहा, इंदौर,
34. अवर सचिव (मॉनिटरिंग), विधि विभाग, भोपाल (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु),
35. महालेखाकार, अन्य राज्य .....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(नवीन कुमार सक्सेना)
सचिव
म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग